ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Issue 2, December 2020
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719

विधायिका में अनुषासन एवं षिश्टाचार की आवष्यकता

संतोश सिंह कुषवाहा

षिक्षा संकाय, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर।

भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही 'विधि के षासन' को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। यह सिद्धांत 'संविधान की सर्वोच्चता' की धारणा पर आधारित है, षासन के तीनों अभिकरणों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र व उसके दायित्वों को संविधान के द्वारा स्पश्ट रूप से निर्धारित किया गया है। चूंकि भारत में षासन की समस्त षक्ति 'लोकप्रिय संप्रभुता' में निहित है और इस षक्ति का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सामूहिक निकाय विधायिका अथवा संसद के माध्यम से किया जाता है। इस दृश्टि से भारत में प्रतिनिधिमूलक सरकार की स्थापना की गई है और विधायिका को सार्वजनिक जीवन का ईमानदार संरक्षक माना गया है। विधायिका द्वारा भारत में सर्वोच्च निधि निर्मात्री संस्था के रूप में विधियों का निर्माण किया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देष के लिए विधायन करने का यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण और दायित्वपूर्ण है। इसी को अध्ययन में रखकर सांसदों के लिए कतिपय विषेशाधिकारों का उपबंध किया गया था जिन्हें अपने विषेश दायित्वों के निर्वहन में विषेश उन्मुक्ति प्रदान किया गया है।

भारत में संसदीय अवमूल्यन :

पिछले दो दषकों से संसदीय कार्य प्रणाली के अवमूल्यन का स्पश्ट प्रमाण मिल रहा है। सांसदों में बढ़ी अनुत्तर दायित्व की भावना, भ्रश्टाचार, भाई-भतीजावाद, जातिवाद सदन में विचार ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरूपयोग, हिंसक कार्यवाही, सदन के भीतर घेराव, विरोधी दल के नेताओं के लिए अपमान सूचक षब्दावली का प्रयोग, दस्तावेजों को नश्ट करने संसदीय कार्यवाही को षोर-षराबो तथा हंगामों से ठप्प करना, सभापति के आसन तक पहुँच जाना आदि घटनांए लोकतांत्रिक आदर्ष और गौरवपूर्ण संसदीय परम्पराओं का क्षति पहुँचा रही है। संसदीय कार्य संस्कृति अथवा गुणवत्ता को यह प्रवित्तियाँ दुश्प्रभावित कर रही है। कुछ समय पूर्व एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा किये गये एक स्टिंग आपरेषन में राज्य सभा के एक सदस्य द्वारा धन लेकर प्रष्न पूछने का मामला सामने आया था। संसद की आचार समिति की सिफारिष के पष्चात् राज्य सभा के एक सदस्य को निलंबित कर दिया गया। समिति ने उस स्टिंग आपरेषन के दौरान कैमरे के सामने अनुचित और गैर-कानूनी रूप से पैसा लेकर संसद की छवि खराब करने का दोशी पाया था। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लार्ड एक्टन का मत है कि ''षक्ति भ्रश्ट करती है और निरपेक्ष षक्ति पूर्ण रूप से भ्रश्ट कर देती है।'' लोकतंत्रीय षासन व्यवस्था में सरकार का स्वरूप चाहे अध्यक्षीय हो अथवा संसदीय, सरकार पर सदैव संसदीय निगरानी की आवष्यकता बनी रहती है। इसके अभाव में सरकारें निरकुंष होकर जनआकाक्षाओं की उपेक्षा कर सकती है। अतः प्रभावषाली संसदीय नियंत्रण को लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपरिहार्य अंग बनाना आवष्यक है। बर्श १९९२ मे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष षिवराज पाटिल द्वारा संसद में अनुषासन एवं षिश्टाचार संबंधी सम्मेलन आहूत किया गया था। इसमें संसदीय कार्यप्रणाली के अवमूल्यन को दूर करने के लिये दिये गये सुझावों को विधिक आधार दिये जाने पर सहमति हुई। यहाँ पर प्रष्न उठता है कि क्या संसदीय आचरण पर एक आचार संहिता का निर्माण किया जाना आवष्यक हैघ

वर्श २००१ में तहलका कांड को लेकर सांसदों द्वारा संसद में की गयी हंगामेबाजी और संसदीय कार्यवाही को लगातार ८ दिनों तक ठप्प कराये जाने की घटना से क्षुब्ध होकर तत्कालीन लोकसभा अध्ययक्ष जी०एम० सईद के नेतृत्व में सांसदो के लिए आचार संहिता बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव के कुछ बिन्दु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांसदों में सदन में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति और विभिन्न अवसरों पर विधायन के लिए कोरम की पूर्ति न होने को ध्यान में रखकर संसद की वार्शिक रूप से कम से ११० अनिवार्य बैठकें निर्धारित करने की सिफारिषों की गयी। १०० से अधिक सदस्यों वालें राज्य विधान मंडलों की वर्श में ६० बैठकें अनिवार्य करने और १०० से कम सदस्यों वाले विधान मंडलों की वर्श में कम से कम ५० बैठक आवष्यक आयोजित करने की सिफारिष की गयी। इसमें विधायिका को सदस्यों को अपनी आय का स्त्रोत, सम्पत्ति का विवरण तथा दायित्वों का विवरण देना अनिवार्य होगा तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों की सूचना भी समय-समय पर पीठासीन अधिकारी को देनी होगी। समिति ने आचार संहिता को लागू कराने के लिए एक आचार समिति का गठन करने की सिफारिष की'। समिति के अनुसार जनप्रतिनिधियों के लिए बनी आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा उल्लंघन करने वाले को सदन से निकाले जाने अथवा निष्चित अवधि के लिए सदस्यता से निलंबित किये जाने का दण्ड दिया जायेगा। सम्मेलन में संसद और राज्य विधान सभाओं की मर्यादा बनाये रखने तथाा अनुषासनहीनता को रोकने के उद्देष्य से 'क्या करें, क्या न करें' नामक सूची में जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन के अंदर तथा बाहर जाने वाले आचार एवं व्यवहार को भी सर्वसम्मति से लिपिबद्ध किया गया है। इस सूची में जनप्रतिनिधियों के आचरण को नियमन करने के उद्देष्य से पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गयी व्यवस्था को चुनौती देना, सदन के अंदर दूरभाश संपर्क माध्यमों का प्रयोग न करना, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को लीक न करना, नारेबाजी न करना, प्रष्नकाल में व्यवधान उत्पन्न न करना आदि दिषानिर्देषों को षामिल किया गया है।

संसदीय कार्यप्रणाली के अवमूल्यन का प्रमाण :

'सोषल वाच डाग' नामक सिविल राइट संगठन ने भारत में सुषासन से संबधित अपनी रिपोर्ट को हाल ही में प्रधानमंत्री को सौपते हुए इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की वर्तमान संसदीय कार्यप्रणाली का दिनोंदिन होता अवमूल्यन संसदीय लोकतंत्र की जड़ो पर प्रहार कर रहा है। इससे जनता के मध्य अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर विष्वसनीयता संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। आम जन में भी धारणा यह है कि सांसद अब सुविधाभोगी विषेशाधिकार प्राप्त वर्ग हैं जो आम जनता की मांगों, षिकायतों से असम्बद्ध है। इससे सांसदों की दूशित छवि निर्मित हुई है। रिपोर्ट में १२वीं से १६वीं लोकसभा के दौरान षोरषराबों के चलते संसदीय कार्यवाही में व्यवधान की दर को प्रतिषत में व्यक्त किया गया है। १४वीं लोकसभा के दौरान तो ३० प्रतिषत से अधिक समय सांसदों को हंगामों के चलते व्यर्थ हुआ। संगठन का कहना है कि संसदीय कार्यवाही के प्रत्येक मिनट का औसतन खर्च लगभग २७,००० रूप्ये है, जबकि सांसदों की सदन से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति की तीव्रता से विकास हुआ है। अक्सर सांसदों तथा सांसद कोश का दुरूप्योग करते हुए पाया गया है। अप्रैल २०१४ में सांसद विकास कोश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गयी है, वह इस कोश के दुरूपयोग के साथ-साथ सांसदो द्वारा अपने ही क्षेत्र के विकास में बरती गयी घोर लापरवाही का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है। ११ राज्यों के १०६ संसदीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकांष जिलाधिकारी खर्च की जितनी रकम बताते है, उसमें से करीब ३१ प्रतिषत राषि एंसी रही जिसको खर्च के मद में नही दर्षाया गया । वस्तुतः सांसद कोश की यह धनराषि सीधे जिलाधिकारी के पास जाती है और सांसद की अनुमति से वह विकास कार्यो में लगती है। इस सामान्य नियम का उल्लंघन कर व्यापक पैमाने पर सांसद विकास कोश का दुरूप्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस कोश का बेहतर प्रबधंन व नियमन भी सांसदों के षुचितापूर्ण वित्तीय आचरण से जुड़ा हुआ है। विधायिका में षिश्टाचार एवं अनुषासन को स्थापित करने के लिए

संसदीय नियंत्रण के प्रावधानों को अधिक मजबूत किये जाने की आवष्यकता है। एक षक्तिषाली विपक्ष इस दिषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विपक्ष सरकारी नीतियों मंत्रियों के कार्यो तथा अन्य दोशों पर ध्यान आकृश्ट कराते समय अराजक व्यवहार न प्रदर्षित करें, ऐसी अपेक्षा की जाती है। विपक्ष को अविष्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव ध्यानाकर्शण प्रस्ताव आदि उपकरण के प्रयोग का अधिकार संसदीय कार्यवाही में मनमाने ढंग से अवरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं दिया गया है। राश्ट्र हित में स्वार्थो से उपर उठकर विपक्ष को एक संवेदनषील मार्ग निर्देषक की भूमिका निभानी होगी।

निश्कर्श :

संसदीय कार्यप्रणाली के अवमूल्यन के निराकरण हेतु विभिन्न संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिष्चित किया जा सकाता है। ये सांसदों के आचरण, व्यवहार, कार्यपद्धति की जांच अथवा अन्वेशण कर अपनी रिपोर्ट लोकसभाध्यक्ष को दे सकती है। मीडिया द्वारा इस दिषा में सक्रिय और पहलकारी भूमिका निभाना आवष्यक है। आधुनिक समय में मूल्य रहित राजनीति अनेक समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अतः सांसदों में राजनीतिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिये। यद्यपि आधुनिक समय में जबकि षक्ति के लिए अनवरत संघर्श एक राजनीतिक यथार्थ है, ऐसे में सांसदों में मूल्यों को तिरोहित करने का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है लेकिन यह असंभव नही है। बेहतर कार्य संस्कृति अथवा वर्क एथिक्स को विभिन्न माध्यमों से विकसित कर इस दिषा में सफलता मिल सकती है। संसदीय कार्यप्रणाली को पारदर्षिता एवं जवाबदेहिता के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए जो किसी भी राश्ट्र में सुषासन की स्थापना के लिए दो अनिवार्य पूर्व षर्त है। राजनीतिक सिद्धांतकार जान स्टुअर्ट मिल ने विधायिका को जनता को राजनीतिक षिक्षा और जनमत का निर्माण करने वाला उपकरण मानता है। ऐसे में सांसदों द्वारा सदन के अंदर या बाहर किया जाने वाला अलोकतांत्रिक आचरण जनता में गलत संदेष का प्रसार करेगा जिससे राजनीतिक संस्कृति को परिपक्व होने में बाधा पहुँचेगी, लोगों का राजनीतिक समाजीकरण बाधित होगा और राश्ट्र में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अवरूद्ध हो जायेगी। चूँकि संसदीय कार्यवाही किसी भी लोकतांत्रिक राश्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है, अतः उस पर नजर रखकर उसको विकृत होने से बचाने के लिए आवष्यक प्रयास करना षासन को सभी अभिकरणों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी का विशय है।

संदर्भ ग्रन्थसूची :-

- एम० लक्ष्मीकान्त, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैग्राहिल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- दैनिक जागरण पत्रिका।
- प्रतियोगिता दर्पण।